

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त ।
हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य
प्रशासक ।

हरियाणा राज्य में सभी कोषाधिकारी ।

यादी क्रमांक 8651-टीए-हर-2टी-2021 / 7615

दिनांक: 21/12/21

विषय:- श्री मूल चन्द तोमर, सहायक कोषाधिकारी, उप-खजाना, तावड़ू, के पक्ष में
बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

श्री मूल चन्द तोमर, सहायक कोषाधिकारी, उप-खजाना, तावड़ू, के कार्यालय
से 58 वर्ष की आयु उपरान्त दिनांक 31.05.2022 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होना है ।
आपसे अनुरोध है कि इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर-अन्दर इस विभाग को सूचित
करने का कष्ट करें उनके विरुद्ध आपके पास किसी प्रकार के कोई ड्यूज तो नहीं है ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक 8651-टीए-हर-2टी-2021 /

दिनांक:

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि० ले० शाखा ।
(रजि०/ए०डी०)
2. कोषाधिकारी, नूंह ।
3. सहायक कोषाधिकारी तावड़ू, जिला नूंह ।
4. श्री मूल चन्द तोमर सहायक कोषाधिकारी, उप-खजाना, नूंह को भेजते हुए लिखा जाता
है कि आप पिछले 10 वर्षों में जिन-जिन कार्यालयों में कार्यरत रहें हैं, से अपने पक्ष में
निजि रुचि लेकर बेबाकी प्रमाण पत्र शीघ्र अति शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का कष्ट
करें ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।